भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1074

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

गिग कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

1074. सुश्री सयानी घोष:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में वर्तमान में गिग अर्थव्यवस्था में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल कामगारों, गैर-मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेट, स्नातक और स्नातक से आगे की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कोई आंकडे प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कई ई-कॉमर्स मंचों के न्यूनतम मजदूरी नीति न होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा गिग कामगारों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रति घंटा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएमएसवाईएम) का लाभ प्राप्त करने वाले गिग कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में उपबंधित किए गए हैं, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" शीर्षक रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को तर्कसंगत बनाया गया है और मजदूरी संहिता, 2019 के तहत सम्मिलित किया गया है तथा इसमें अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी के घटकों में जीवन-निर्वाह लागत भत्ते का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, संहिता में न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है और इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के

जारी...2/-

तहत यथाउपबंधित अनुसूचित रोजगारों तक सीमित न्यूनतम मजदूरी की सीमित प्रयोज्यता का दायरा बढ़ाया गया है।

भारत सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) नामक पेंशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य असंगठित कामगारों के लिए वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह योजना मार्च, 2019 में शुरू की गई थी।

विगत पांच वर्षों के दौरान पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकित गिग और प्लेटफार्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत राज्यवार नामांकन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	824	275	175	32	9
आंध्र प्रदेश	107289	5951	1567	17800	627
अरुणाचल प्रदेश	1580	75	208	175	77
असम	7559	3851	6352	10469	2843
बिहार	75342	13711	9294	10347	1891
चंडीगढ़	3208	52	89	12	12
छत्तीसगढ	109245	3635	5033	16040	1759
दिल्ली	2664	579	1575	555	365
गोवा	727	36	26	972	17
गुजरात	31047	1573	2419	16448	1837
हरियाणा	219807	16136	9946	3922	459
हिमाचल प्रदेश	26045	1181	2659	3089	138
जम्मू और कश्मीर	26765	6555	3150	599	257
झारखंड	28130	1989	1645	4820	507
कर्नाटक	52400	8366	16241	15534	4836
केरल	2369	1121	1894	2984	224
लद्दाख	559	9	7	4	3
मध्य प्रदेश	37694	4719	7568	46102	2203
महाराष्ट्र	51025	6819	6989	8905	4758
मणिपुर	1302	234	335	1488	151
मेघालय	1178	792	411	2107	400
मिजोरम	120	54	60	469	164
नागालैंड	2525	736	138	91	35
ओडिशा	48240	8706	7097	12541	2267
पुदुचेरी	299	79	73	1049	3760
पंजाब	10912	1411	1544	22465	217
राजस्थान	37295	3090	2592	22053	14800
सिक्किम	42	21	17	166	20
तमिलनाडु	13671	2131	2322	6426	1904
तेलंगाना	17500	2270	1777	6525	688
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	574	37	21	20	43
त्रिपुरा	12176	3074	1338	1371	1854
उत्तर प्रदेश	138680	23964	13168	19211	10656
उत्तराखंड	14558	1224	493	3757	544
पश्चिम बंगाल	24374	12336	20146	13946	5450

****